प्रकाशन हेतु अनुमोदित

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

## दाण्डिक अपील सं 1323/2022

प्रसेन कुमार भार्गव पिता राजकुमार भार्गव उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी साकिन – कोटा डाबरी वार्ड क्रमांक – 15, चांपा, थाना – चांपा,, जिला:जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

राज्य छत्तीसगढ़, पुलिस थाना के द्वारा – गिधोरी – टुंड्रा, जिला :बालोदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री प्रगल्भ शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता

---

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

20.11.2025

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर यह दाण्डिक अपील, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी ( पॉक्सो अधिनियम), बलोदाबाजार (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक ( पॉक्सो) वाद संख्या 56/19 में दिनांक 08.07.2022 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश के विरुद्ध है,

जिसके तहत अपीलकर्ता को निम्नलिखित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है:

| धारा के तहत दोषसिद्धि | दंड (कठोर कारावास) | जुर्माना | जुर्माना अदा न करने पर कठोर कारावास का दंड |
|---|---|---|---|
| भा.दं. सं. की धारा 450 | 7 वर्ष | रु 500/- | 1 वर्ष |
| भा.दं. सं. की धारा 363 | 7 वर्ष | रु 500/- | 1 वर्ष |
| भा.दं. सं. की धारा 506-II | 1 वर्ष | रु 500/- | 1 वर्ष |
| पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 | आजीवन कठोर कारावास | रू.1000/ - | 1 वर्ष |
| सभी दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है। | | | |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि 27.09.2019 को दोपहर लगभग 12 बजे, परिवादी रूपराम रात्रे, जो कि गिधौरी-टुंड्रा गांव का निवासी है, ने परिवाद दर्ज कराई कि पिछली रात 26.09.2019 को लगभग 9 बजे, उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने भोजन किया और अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। उसकी लगभग 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपने माता-पिता के साथ सो रही थी।लगभग रात 1:30 बजे, उसके पिता कलीराम ने उसे बताया कि बच्ची अपने बिस्तर पर नहीं है।परिवार ने तुरंत घर और आसपास के इलाकों में खोजबीन की, परंतु बच्ची का पता नहीं चल सका।

3. परिवादी ने इसके बाद गिधौरी पुलिस थाना के सिपाही नरेश खुंटे को सूचना दी, जिन्होंने भी लड़की की तलाश में सहयोग किया।तलाश के दौरान सूचना मिली कि नाबालिग लड़की शिवरीनारायण पुलिस थाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुदपार गांव के पास मिली है।सिपाही ने अपने भतीजे भूपेंद्र रात्रि को उसे वापस लाने के लिए भेजा।कुछ देर बाद लड़की वापस लौटी और देखा गया कि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि लगभग रात 1:00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, उसे जबरदस्ती उठाया और बाहर ले गया।उसके शोर मचाने के प्रयासों के बावजूद, घर के सदस्यों ने आवाज नहीं सुनी क्योंकि कूलर चल रहा था।आरोपी ने कथित तौर पर उसका मुंह ढक दिया, उसे बाहर खड़ी एक छोटी सी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी लेकर चला गया।रास्ते में जब उसने पानी मांगा, तो आरोपी ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद वह गाड़ी को केरा रोड, शिवरीनारायण की ओर ले गया, एक सुनसान जगह पर रोका और गाड़ी के अंदर ही उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया।पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने एक और सुनसान जगह पर फिर से यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे एक अंधेरे इलाके में छोड़कर भाग गया।पीड़िता ने बताया कि वह मुदपार गांव की ओर जा रही थी, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और उसने उसे पूरी घटना बताई।उस व्यक्ति ने उसे अपने घर ले जाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे घर लौटने के लिए

कहा गया।परिवादी बच्चे को पुलिसकर्मियों के साथ कसडोल स्थित सरकारी अस्पताल ले गई।चिकित्सा उपचार के बाद, उन्हें बलोदा बाजार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

4. परिवाद के आधार पर, आईपीसी की धारा 363, 376, 450 और 506 तथा पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत कैप्सूल प्रकार के वाहन के अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर संख्या 224/2019 दर्ज की गई। जांच के दौरान, पीड़िता के विवरण के आधार पर, पंजीकरण संख्या सीजी 22 जे 2603 और सीजी 22 एम 3810 वाले बल्कर वाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो संबंधित समय के आसपास कथित स्थान के पास से गुजरे थे।ये वाहन आरोपी प्रसेन कुमार भार्गव और आरोपी उमेश कर्ष के पाए गए।

5. इसके बाद, कसडोल के उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान परेड आयोजित की गई, जिसमें पीड़िता ने आरोपी प्रसेन कुमार भार्गव की पहचान की।घटना में कथित रूप से इस्तेमाल किया गया बल्कर वाहन और आरोपी से जुड़े मोबाइल नंबर जब्त कर लिए गए।संबंधित सुसंगत साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए, पीड़िता का दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 164 के तहत बयान लिया गया और अन्वेषण अधिकारी और पटवारी द्वारा घटनास्थल के नक्शे तैयार किए गए।पीड़िता के कपड़े और आरोपी के अंतर्वस्त्र जब्त कर लिए गए और फोरेंसिक जांच के लिए मेडिकल स्लाइड एकत्र की गईं।पीड़िता की उम्र का पता लगाने के लिए स्कूल के अभिलेख भी जब्त किए गए, जिससे पुष्टि हुई कि वह नाबालिग थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अन्वेषण पूरी होने पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 450, 506, 120-बी और 201 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 और 17 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया

7. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, बालोदा बाजार के माननीय विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता, जो लगभग 11 वर्ष की नाबालिग है, ने घटना का स्पष्ट वर्णन किया है जिससे आरोपी प्रसेन कुमार भार्गव पर आरोप साबित होता है। विचारण न्यायालय ने पहचान परेड के दौरान पीड़िता द्वारा की गई पहचान और न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके मुख्य बयान पर भरोसा किया।न्यायालय ने पाया कि चिकित्सा साक्ष्य, जिसमें पीड़िता के गुप्तांगों पर लगी चोटें और उसके कपड़ों पर खून की मौजूदगी शामिल है, जबरन यौन उत्पीड़न के आरोप का समर्थन करते हैं।

8. विचारण न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि आरोपी के कब्जे से वाहन संख्या सीजी-22-जे-2603 की बरामदगी और उसके मोबाइल फोन की ज़ब्ती से आरोपी और अपराध के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित होता है। न्यायालय ने पीड़ित को मुदपार गांव से बरामद करने के तरीके और अन्वेषण के दौरान उठाए गए कदमों के संबंध में पुलिस साक्षीयों और अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्यों पर भी भरोसा किया।

9. अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 25 साक्षीयों कि परीक्षा की और 37 दस्तावेज़ पेश किए। आरोपियों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई और आरोपियों ने निर्दोषता और झूठे फँसाए जाने का दावा करते हुए अपनी ओर से 5 बचाव पक्ष के साक्षीयों के साक्ष्य प्रस्तुत किए।

10. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद 08.07.2022 को निर्णय पारित किया गया तथा अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए निर्णय के शुरुआती कंडिका में उल्लिखित दंड पारित किया गया ।

11. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला गंभीर खामियों से ग्रस्त है, जिसकी शुरुआत कथित अपराधी की पहचान से होती है, जो दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता (पी. डब्ल्यू-2) ने स्वीकार किया है कि वह पहले अपीलकर्ता को नहीं जानती थी, और उसके पहले बयान (एक्स. पी.--4) में, जिसमें आरोपी का नाम या वर्णन है, अपीलकर्ता या किसी भी पहचान योग्य शारीरिक विशेषताओं का कोई उल्लेख नहीं है। अभियोजन पक्ष ने कसडोल के एसडीएम द्वारा आयोजित परीक्षण पहचान परेड पर काफी हद तक भरोसा किया है, लेकिन यह तर्क दिया गया है कि स्वयं परीक्षण पहचान परेड पूरी तरह से अविश्वसनीय है। परीक्षण पहचान परेड सिंचाई विभाग के बलोदा बाजार भाटापारा स्थित विश्राम गृह में आयोजित की गई थी, जबकि वास्तव में इसे जेल परिसर/पुलिस स्टेशन में आयोजित किया जाना चाहिए था।इसके अलावा, यह बताया गया है कि पी. डब्ल्यू 19 आशाराम बंजारे (एएसआई) और पी. डब्ल्यू 22 अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता को पीड़ित (पी. डब्ल्यू 2) और अन्य साक्षीयों को टीआईपी के समक्ष दिखाया गया था, जो अशरफी और राम धानी बनाम राज्य, एआईआर 1961 ऑल 153 में निर्धारित दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है।किसी भी सूचना परीक्षण पहचान परेड के होने से पहले ही अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन में पीड़ित के सामने पेश कर दिया गया था, जिससे पूरी प्रक्रिया महज एक औपचारिकता बनकर रह गई। इसके अतिरिक्त, परीक्षण पहचान परेड ज्ञापन में यह नहीं बताया गया है कि क्या समान शक्ल वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया था, और न ही एसडीएम के बयान में अपनाई गई सावधानियों का स्पष्टीकरण दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि निष्पक्ष और निर्विवाद परीक्षण पहचान परेड के अभाव में, न्यायालय में कटघरे में की गई पहचान अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है।

12. आगे यह निवेदन किया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य अपीलकर्ता को कथित कृत्य से नहीं जोड़ता है, क्योंकि न तो एफएसएल रिपोर्ट और न ही जब्त किए गए कपड़ों में अपीलकर्ता के साथ कोई भी दोषी ठहराने वाला फोरेंसिक संबंध पाया गया है।एक्स.पी-14 के तहत कथित रूप से जब्त किए गए पीड़ित के वस्त्र, साथ ही एक्स.पी-15 के तहत जब्त किए गए अपीलकर्ता के अंडरवियर में कोई भी जैविक सामग्री नहीं है जो उसे अपराध से जोड़ती हो।अभियोजन पक्ष ने कथित अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण साक्षीयों को भी पेश नहीं किया है और उस व्यक्ति को भी पेश करने में विफल रहा है जिसने कथित तौर पर पीड़ित को सबसे पहले पाया और अपने घर ले गया पीड़ित के लापता होने का पता चलने के समय और तलाशी अभियान के क्रम के संबंध में परिवार के सदस्यों, अर्थात् पी. डब्ल्यू 1 (मां), पी. डब्ल्यू 5 (दादा), पी. डब्ल्यू 6 (दादी), पी. डब्ल्यू 7 (पिता) के कथन में देरी और विरोधाभास अभियोजन पक्ष की कहानी पर और भी संदेह पैदा करते हैं।विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि परिस्थितियों की पूरी कड़ी खंडित, अनुमान पर आधारित और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने में असमर्थ है।इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दोषसिद्धि विकृत है तथा यह अपास्त किये जाने योग्य है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय, नाज़िम और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2117, पर ज़ोर दिया है,जिसमें न्यायालय ने केवल पहचान साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों को दोहराया और स्पष्ट किया है।सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब आरोपी की पहचान संदिग्ध हो, और पहचान परेड (टीआईपी) या तो दोषपूर्ण हो या निष्पक्षता से समझौता करने वाले तरीके से आयोजित की गई हो, तो संपूर्ण अभियोजन मामला भरोसे के लायक नहीं रह जाता है।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पहचान परेड केवल एक सहायक उपकरण है और इसे ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता है, और पहचान परेड से पहले गवाह के सामने आरोपी का कोई भी प्रदर्शन पहचान की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है।निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"42. न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पहचान परेड केवल जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है और मुख्य साक्ष्य कटघरे में की गई पहचान है; हालांकि, जहां अभियुक्त साक्षी के लिए अजनबी है और कोई पहचान परेड नहीं हुई है, वहां न्यायालयों को ऐसी पहचान स्वीकार करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। पी. ससिकुमार (उपरोक्त) का निम्नलिखित कंडिका इसी बात का संकेत देता है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**"21.यह सर्वविदित है कि प्रत्यक्ष पहचान परेड पुलिस जांच का केवल एक हिस्सा है। पहचान परेड में आरोपी की पहचान एक ठोस साक्ष्य नहीं है।ठोस साक्ष्य केवल कटघरे में की गई पहचान है, अर्थात् विचारण के दौरान न्यायालय में साक्षी द्वारा की गई पहचान है।**

**23. [...] ऐसे मामलों में जहां आरोपी एक साक्षी के लिए अजनबी है और कोई प्रत्यक्ष पहचान परेड नहीं है, तो ऐसे साक्षी द्वारा की गई कटघरे में पहचान को स्वीकार करते समय विचारण न्यायालय को बहुत सतर्क रहना चाहिए।**

**24. [.....] हमारा मत है कि इस मामले में परीक्षण पहचान परेड न करना पुलिस जांच की एक गंभीर खामी थी और परीक्षण पहचान परेड के अभाव में वर्तमान अपीलकर्ता की पहचान हमेशा संदिग्ध रहेगी। संदेह हमेशा आरोपी पर ही होता है।"**

14. उपरोक्त तर्क को लागू करते हुए, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था, पीड़ित और परिवार के सदस्यों के सामने पेश किया गया था, और एसडीएम द्वारा परीक्षण पहचान परेड आयोजित किए जाने से पहले ही उसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया था, जिससे पूरी परेड निरर्थक हो जाती है।परीक्षण पहचान परेड ज्ञापन विधि के अनुसार साबित नहीं हुआ है, पी.डब्ल्यू. 22 अन्वेषण अधिकारी ने अनियमितताओं को स्वीकार किया है, और एसडीएम के कथन न्यायिक सुरक्षा उपायों के पालन को नहीं दर्शाती है।यह तर्क दिया गया है कि नाज़िम (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले और अशरफी

(उपरोक्त) मामले में पहले से निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, अपीलकर्ता की पहचान पूरी तरह अविश्वसनीय, कानूनी रूप से कमजोर और पॉक्सो अधिनियम जैसे कठोर परिणामों वाले कानून के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।

15. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता दोषसिद्धि के निर्णय का समर्थन करते हुए कहते हैं कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया है।यह तर्क दिया गया है कि नाबालिग पीड़िता के कथन स्वाभाविक, सुसंगत और भरोसेमंद है, और यह कानून सर्वविदित है कि यदि यौन अपराध की पीड़िता का बयान विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो केवल उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता के पास अपीलकर्ता को, जो उसके लिए एक अपरिचित व्यक्ति था, झूठा फंसाने का कोई उद्देश्य नहीं था, और प्रतिपरीक्षा के दौरान अपहरण और यौन उत्पीड़न के उसके बयान में कोई खास बदलाव नहीं आया।यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष आयोजित पहचान परेड के दौरान अपीलकर्ता की तुरंत पहचान कर ली थी, और एक बाल पीड़िता द्वारा की गई पहचान, जिसे अपराधी को करीब से देखने का पर्याप्त अवसर मिला था, को आसानी से अविश्वासनीय नहीं ठहराया जा सकता है।राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीड़िता के खून से सने कपड़े, उसके शरीर पर मौजूद चोटें और चिकित्सकीय साक्ष्य सामूहिक रूप से जबरन यौन उत्पीड़न के आरोप की पुष्टि करते हैं।यह भी कहा गया कि अन्वेषण के दौरान अपीलकर्ता का वाहन, जिसका पंजीकरण नंबर सी.जी.-22-जे-2603 है, जब्त कर लिया गया था, और अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करने वाली एक पूर्ण कड़ी बनाती हैं।राज्य का तर्क है कि पीड़ित के बयान में मामूली विसंगतियाँ आघातग्रस्त बच्चे के लिए स्वाभाविक हैं और अभियोजन पक्ष के मामले के मूल आधार को प्रभावित नहीं करती हैं।राज्य के अनुसार, विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने के बाद एक सुविचारित निर्णय दिया है, और अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राज कुमार उर्फ भीमा बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 697 ऑफ 2024 से उत्पन्न) के निर्णय पर भरोसा जताते हुए तर्क दिया कि पीड़ित के कथन, विशेष रूप से नाबालिगों पर यौन हमले के मामलों में, सर्वोपरि महत्व रखती है और हर विवरण में पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।राज्य का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि आघातग्रस्त पीड़ित द्वारा घटनाओं के वर्णन में मामूली विसंगतियों या मामूली भिन्नताओं को अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है, और चिकित्सा साक्ष्य केवल पुष्टिकरण के रूप में होते हैं और यदि पीड़ित का मौखिक बयान ठोस और विश्वसनीय है तो उसे निरस्त नहीं कर सकते है।यह तर्क दिया जाता है कि राज कुमार बनाम भीमा (उपरोक्त) मामले में दिया गया निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि यदि पीड़ित बच्चे का बयान स्वाभाविक और सुसंगत पाया जाता है, तो वह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है, और बाल यौन शोषण के मामलों में साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।राज्य का

तर्क है कि उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, विचारण न्यायालय ने पीड़ित के साक्ष्य को सही ढंग से स्वीकार किया है और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का निर्णय भी सही ढंग से दर्ज किया है।

17. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना, उनके उपरोक्त तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क पर मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और इस क्षेत्र में लागू कानूनी सिद्धांतों के आलोक में विधिवत विचार किया गया है। मामले के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या आक्षेपित आदेश में कोई खामी, विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो

18. आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपित अपराधों के लिए आयु का निर्धारण मूलभूत होने के कारण, यह न्यायालय सर्वप्रथम यह जाँच करेगा कि क्या अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर पाया है कि घटना की तिथि पर पीड़िता नाबालिग थी।

19. अभियोजन पक्ष ने पीड़िता द्वारा अध्ययन किए जा रहे प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर और अस्वीकृति रजिस्टर पर भरोसा किया है।ये दस्तावेज़ अन्वेषण के दौरान ज़ब्त किए गए थे और इन्हें साक्ष्य के रूप में एक्स. पी-32 (प्रवेश रजिस्टर) और एक्स. पी-33 (अस्वीकृति रजिस्टर) के रूप में प्रस्तुत किया गया है।इनमें दर्ज प्रविष्टियों में पीड़िता की जन्मतिथि दर्ज है, जिससे यह सिद्ध होता है कि घटना की तिथि 27.09.2019 को उसकी आयु 11 वर्ष थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उक्त दस्तावेज़ सक्षम गवाह पीडब्ल्यू-17 (प्रधानाध्यापक/शिक्षक) द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि रजिस्टर विद्यालय प्रशासन के सामान्य क्रम में रखे जाते हैं और पीड़िता से संबंधित प्रविष्टियाँ उसके प्रवेश के समय की गई थीं। प्रतिपरीक्षा के दौरान उनका बयान अडिग रहा

21. दस्तावेजी साक्ष्य पीड़िता के माता-पिता, पीडब्ल्यू-1 (माता अंजू रात्रे) और पीडब्ल्यू-7 (पिता रूपराम रात्रे) के मौखिक बयानों से और पुष्ट होते हैं, जिन्होंने लगातार बयान दिया है कि घटना के समय बच्ची 11 वर्ष की थी। प्रतिपरीक्षा के दौरान बच्चे की उम्र के संबंध में उनके बयान को गलत साबित करने वाली कोई भी सामग्री सामने नहीं आई है।

22. यह सर्वविदित है कि सामान्य कामकाज के दौरान रखे गए स्कूल अभिलेख उम्र के मजबूत और विश्वसनीय प्रमाण होते हैं।जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य,(2013) 7 एससीसी 263 का संदर्भ लिया जा सकता है,

जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए न्यायालय को सर्वप्रथम विद्यालय प्रवेश रजिस्टर का संदर्भ लेना चाहिए, और इसके अनुपलब्ध होने पर ही अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

23. वर्तमान मामले में, बचाव पक्ष ने एक्स.पी.-32 और एक्स.पी.-33 की प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी है, और न ही उनमें दर्ज आयु को चुनौती देने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।इस प्रकार इन समकालीन विद्यालय अभिलेख की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

24. तदनुसार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि कथित घटना की तिथि पर पीड़िता 11 वर्ष की नाबालिग थी, और इसलिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधान पूर्णतः लागू होते हैं।

25. विचारणीय अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह सिद्ध करने में सक्षम रहा है कि अपीलकर्ता प्रसेन कुमार भार्गव ही नाबालिग पीड़िता के कथित अपहरण और यौन उत्पीड़न का अपराधी है, और क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के निष्कर्ष कानून और तथ्यों के आधार पर मान्य हैं?

26. विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि दर्ज की:

(i) पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान और पहचान कार्यवाही में आरोपी की पहचान (एक्स पी/ -18/एक्स पी/ -20ए); (ii) चोटों और रक्तस्राव को दर्शाने वाले चिकित्सा साक्ष्य; (iii) कुछ वस्तुओं पर मानव वीर्य की उपस्थिति दर्शाने वाली रासायनिक रिपोर्ट; और (iv) आरोपी के स्वामित्व वाले वाहन की ज़ब्ती। ये तथ्य अभियोजन पक्ष के मामले की रीढ़ हैं और इसलिए इनकी गहन जांच आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. आपराधिक न्यायनिर्णय में मुख्य आधार संदेह से परे प्रमाण होता है।जहां मामला पहचान साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भर करता है, वहां न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि पहचान विश्वसनीय हो और उसमें किसी प्रकार की मिलावट, सुझाव या पुष्टि की कमी न हो।यह भी उतना ही सच है कि चिकित्सीय साक्ष्य से अपराध का होना सिद्ध हो सकता है, लेकिन चिकित्सीय राय से अपराधी की पहचान नहीं होती है।इसलिए न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या साक्ष्यों का समग्र समूह अपीलकर्ता को अपराध से एक अटूट और ठोस क्रम में जोड़ता है।

28. जहां तक परीक्षण पहचान परेड और न्यायालय में पहचान का संबंध है, अभियोजन पक्ष उप-विभागीय अधिकारी द्वारा संचालित पहचान कार्यवाही (एक्स. पी-20ए / पीडब्ल्यू-23 का साक्ष्य) और पीड़ित द्वारा न्यायालय में आरोपी की पहचान पर बहुत अधिक निर्भर करता है।हालाँकि, अभिलेख में कई चिंताजनक पहलू सामने आते हैं जो पहचान के साक्ष्य को असुरक्षित बनाते हैं।

29. सबसे पहले, 27.09.2019 की घटना के लगभग नौ या दस दिन बाद, 07.10.2019 को औपचारिक पहचान की कार्यवाही की गई, जब पीड़ित अस्पताल में भर्ती था और उसकी निरंतर देखभाल की जा रही थी। पहचान दस्तावेज़ पर पीड़ित के हस्ताक्षर नहीं हैं और व्यक्तियों के चयन और उन्हें पंक्ति में मिलाने की प्रक्रिया दस्तावेज़ पर स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है।कार्यवाही करने वाले अधिकारी (पी. डब्ल्यू-23) ने सामान्य रूप से बताया कि समान कद/शारीरिक बनावट वाले व्यक्तियों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन ऐसा कोई समकालीन

रिकॉर्ड नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पहचान को सार्थक बनाने वाले सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था (आरोपी और साक्षी को परेड तक अलग रखना, किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी न देना, स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति, साक्षी की प्रतिक्रिया का समकालीन नोट आदि)।संबंधित जेल प्राधिकारियों (अर्थात, परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से रिपोर्ट के रूप में मांगी जानी चाहिए।ऐसी जानकारियों के अभाव में, न्यायालय प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में अटकलें लगाने के लिए विवश है।

30. दूसरा, पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसने अपीलकर्ता को पहली बार तब देखा था जब वह उसे अपने साथ ले गया था।इस स्वीकारोक्ति से अवलोकन का अवसर, परिवेशीय प्रकाश, दूरी और हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है।अभिलेख से पता चलता है कि घर में कम रोशनी थी (बल्ब हटा दिए गए थे), और पीड़िता को तड़के घर से ले जाया गया था।विचारण न्यायालय ने इस संबंध में ठोस तथ्य दर्ज नहीं किए हैं कि क्या पीड़िता को अपीलकर्ता का स्पष्ट, निरंतर और अबाधित दृश्य प्राप्त हुआ था जिससे उसकी सटीक पहचान हो सके।जहां ये मामले स्थापित नहीं हैं, वहां पहचान का साक्ष्य स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. तीसरा, कुछ साक्ष्य बताते हैं कि पहचान की कार्यवाही से पहले पीड़ित कई दिनों तक परिवार और पुलिस की देखरेख में रहा।इस अवधि के दौरान साक्षी को अनजाने में या जानबूझकर सिखाया-पढ़ाया गया हो, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।टीआईपी पेपर पर पीड़ित के हस्ताक्षर न होने और लाइन-अप के स्वतंत्र सत्यापन का अभाव, प्रदर्शनी पी-18/प्रदर्शनी पी-20 ए के साक्ष्य मूल्य को काफी कमजोर करता है

32. चौथा, विचारण न्यायालय ने न्यायालय में हुई पहचान पर भरोसा किया, जो सिद्धांत रूप में एक स्वतंत्र साक्ष्य है।लेकिन कटघरे में या न्यायालय में की गई पहचान को अत्यंत सावधानी से लेना चाहिए, विशेषकर तब जब पहले से किए गए पहचान संबंधी सुरक्षा उपाय अपूर्ण हों।पीड़ित द्वारा न्यायालय में की गई पहचान को किसी संदिग्ध साक्ष्य पहचान परेड की कमियों को दूर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि न हो जाए कि आरोपी घटना के समय पीड़ित के साथ था।इस मामले में ऐसी कोई स्वतंत्र पुष्टि मौजूद नहीं है।

33. इन कारणों से, साक्ष्य पहचान परेड और न्यायालय में की गई पहचान को एक साथ देखने पर, हम पाते हैं कि पहचान संदेह से परे नहीं है।यह न्यायालय ऐसी पहचान के साक्ष्य मूल्य को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की जांच करना आवश्यक समझता है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **अशरफी और राम धानी बनाम राज्य के मामले में दिए गए प्रसिद्ध फैसले पर भरोसा किया गया है, जो 1960 में प्रकाशित हुआ था।एससीसी ऑनलाइन ऑल 86 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि** पहचान पत्र (टीआईपी) का प्राथमिक उद्देश्य केवल उस गवाह की स्मृति और सत्यता का परीक्षण करना है जिसका आरोपी से पहले कोई परिचय नहीं था, और ऐसी पहचान केवल पुष्टिकरण के रूप में होती है।न्यायालय ने आगे कहा कि जहां परेड से संबंधित परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि साक्षी ने आरोपी को पहले देखा हो सकता है, या जहां परेड की निष्पक्षता से समझौता किया

गया हो, वहां टीआईपी का साक्ष्य मूल्य काफी कमजोर हो जाता है।निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे दिए गए हैं:"

10. पहचान ज्ञापन का कानूनी प्रभाव। हम पहले ही देख चुके हैं कि परीक्षण पहचान गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य प्रदान करती है और पहचान ज्ञापन उस व्यक्ति के समक्ष गवाह द्वारा स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए बयान का एक रिकॉर्ड मात्र है जिसने पहचान की थी। इसलिए, ज्ञापन के कानूनी प्रभाव का निर्धारण करना आसान होना चाहिए।"पहचान संबंधी कार्यवाही करने का अधिकार संभवतः (क) पुलिस, (ख) आम नागरिकों और (ग) मजिस्ट्रेटों के पास है।इन श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू कानून अलग-अलग हैं, इसलिए हम उनके मामलों पर अलग-अलग विचार करते है।

11. सैद्धांतिक रूप से पुलिस द्वारा परीक्षण पहचान आयोजित करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में, पहचानकर्ता द्वारा उनके समक्ष दिया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत तुरंत प्रतिबंधित हो जाएगा, जिसके तहत इसका उपयोग केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है और किसी भी तरह से उसकी पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है।परिणामस्वरूप, पुलिस के पास मौजूद परीक्षण पहचान पत्र, अदालत के समक्ष पहचानकर्ता द्वारा दी गई कथन की पुष्टि के लिए पहचान पत्र का उपयोग करने के उद्देश्य को निष्फल कर देता है।इसी कारण पुलिस द्वारा ऐसी कार्यवाही कभी नहीं की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस दृष्टिकोण के हमारे कारणों को संक्षेप में बताया जा सकता है।साक्षी के बयान के अभिलेख के रूप में,, पहचान ज्ञापन का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के तहत इसे तैयार करने वाले व्यक्ति की स्मृति को ताज़ा करने के लिए किया जा सकता है।लेकिन धारा 157 अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशेष रूप से साक्षी के कथन की पुष्टि करने का प्रावधान करती है।इसमें लिखा है:"किसी साक्षी के कथन की पुष्टि करने के लिए, उस साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित कोई भी पूर्व बयान, जो उस तथ्य के घटित होने के समय या उसके आसपास दिया गया हो, या उस तथ्य की कानूनी रूप से जांच करने के लिए सक्षम किसी भी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया हो, सिद्ध किया जा सकता है।"

15. वर्तमान चर्चा के प्रयोजनों के लिए, धारा के दूसरे भाग में "उस तथ्य की कानूनी रूप से जांच करने के लिए सक्षम किसी भी प्राधिकारी" शब्द को अनदेखा किया जा सकता है।परन्तु महत्वपूर्ण भाग पहला भाग है, अर्थात्:"उस साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित कोई भी पूर्व बयान, जो उस तथ्य के घटित होने के समय या उसके आसपास दिया गया हो।"अब, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें "तथ्य" क्या है? तथ्य यह नहीं है कि आरोपी अपराध का दोषी है; बल्कि यह है कि न्यायालय के समक्ष गवाह आरोपी की पहचान करता है; यानी, कटघरे में खड़े आरोपी की ओर इशारा करते हुए शपथपूर्वक कहता है कि उसकी राय में वही अपराधी था।लेकिन इससे पहले हुई पहचान परीक्षण में उसने स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से यही बात कही थी और उसका यह "पूर्व कथन" कार्यवाही संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए पहचान ज्ञापन में

दर्ज किया गया था।निस्संदेह, यह ज्ञापन पहचान के "समय या लगभग उसी समय" तैयार किया गया था।यह स्पष्ट रूप से अनुसरण करता है कि धारा 157 के प्रथम भाग के अनुसार, पहचान ज्ञापन न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि के लिए स्वीकार्य हो जाता है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि भोगीलाल चुनीलाल बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा कुछ भिन्न था, फिर भी वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे।

17. यह तर्क व्यक्त की गई कुछ शंकाओं को दूर करने में सहायक होगा।सबसे पहले, यह सुझाव दिया गया है कि अपीलकर्ता अशरफी के संबंध में पहचान ज्ञापन का उपयोग गवाहों की पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे कानपुर के एक मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया था, जिसका फतेहपुर जिले पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिस जिले से वर्तमान डकैती संबंधित है।धारा 157 इस सुझाव को खारिज कर देती है। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट का मामले में क्षेत्राधिकार होना आवश्यक नहीं है, इसलिए श्री मुज़हत अली, यद्यपि केवल कानपुर जिले के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे थे, अशरफी की पहचान के लिए परीक्षण करने के हकदार थे।दूसरा, समीउद्दीन बनाम के.ई. (उपरोक्त) मामले में, पहचान परीक्षण एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था जिसे विशेष रूप से सशक्त नहीं किया गया था और आरोपी ने तर्क दिया कि यद्यपि कोई भी मजिस्ट्रेट पहचान परीक्षण करने के लिए सक्षम है, फिर भी यदि उसे मामले से निपटने के लिए सशक्त नहीं किया गया है तो वह धारा 157 के तहत अपने समक्ष दिए गए बयानों को साबित नहीं कर सकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अपने इस मत का कोई कारण नहीं बताया गया।उचित कारण हमने पिछले कंडिका में दिया है।तीसरा, हाल ही में हमें एक ऐसा निर्णय मिला जिसमें झांसी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि विशेष रूप से सशक्त न किए गए द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया पहचान ज्ञापन साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।विद्वान न्यायाधीश का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. संक्षेप में,कोई भी व्यक्ति पहचान परीक्षण कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाती है। पहचान ज्ञापन उस बयान का रिकॉर्ड होता है जो पहचानकर्ता ने स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था।यह बयान पहचानकर्ता का पूर्व बयान होता है और न्यायालय में इसका उपयोग न केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या 155 के तहत उसके बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि धारा 157 के तहत उसकी पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि, यदि यह बयान पुलिस के समक्ष दिया गया हो, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत आएगा और इसलिए पुष्टि के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।यदि पहचान पत्र रखने वाला व्यक्ति प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट हो, या विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट हो, तो धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है और उसका पहचान पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 के तहत बिना प्रमाण के साक्ष्य में स्वीकार्य है। लेकिन यदि अन्य मजिस्ट्रेट या निजी व्यक्ति इसे रखते हैं, तो उन्हें अपने पहचान पत्र को साबित करने के लिए

साक्ष्य में बुलाया जाना चाहिए।जहां धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है, वहां कार्यवाही संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से भी स्वतंत्र होती है।

21. पहचान संबंधी कार्यवाही के लिए सामान्य सावधानियां। पहचान संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया सर्वविदित है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही विधिवत संचालित हो और पूरी तरह संदेह से परे हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।ये निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश नियमावली, 1954 के परिशिष्ट 20 में दिए गए हैं, जिसमें खंड 'क' में आरोपी व्यक्तियों और खंड 'ख' में संपत्ति का उल्लेख है।
ये निर्देश अधिकतर उच्च न्यायालय के निर्णयों पर आधारित हैं और प्रशंसनीय हैं।
इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने अपने सामान्य नियम (आपराधिक) में पहचान कार्यवाही के ज्ञापन को रखने के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं, जिनमें प्रपत्र संख्या 34 (अध्याय VIII, नियम 64) संदिग्ध अपराधियों के लिए और प्रपत्र संख्या 37 संपत्ति के लिए है।इन प्रपत्रों के निचले भाग में आवश्यक सावधानियों का उल्लेख किया गया है।इन सावधानियों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए और उचित प्रपत्र पर ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए, जिसके प्रत्येक स्तंभ को विधिवत भरा जाना चाहिए।
इन ज्ञापनों के कानूनी महत्व पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।
यहां हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि संदिग्धों और संपत्ति की पहचान के लिए बनाए गए ये विस्तृत नियम केवल यांत्रिक उपाय नहीं हैं, बल्कि निर्दोष व्यक्तियों या गलत संपत्ति की पहचान होने से बचाने के लिए बनाए गए हैं, और इसलिए इनका अक्षरशः और भावार्थ रूप से पालन करना अनिवार्य है।22. संदिग्धों और निर्दोष व्यक्तियों का मिश्रण। उत्तर प्रदेश सरकारी आदेश नियमावली के परिशिष्ट 20 के खंड 'अ' में यह उल्लेख है कि जहां संदिग्धों की संख्या एक या दो हो, वहां परेड में अन्य विचाराधीन कैदियों की संख्या सामान्यतः प्रति संदिग्ध नौ या दस के अनुपात में हो सकती है; जहां संख्या इससे अधिक हो, वहां प्रति संदिग्ध कम से कम पांच विचाराधीन कैदियों के अनुपात में उन्हें मिलाया जा सकता है, लेकिन अनावश्यक रूप से लंबी परेड से बचने का ध्यान रखा जाना चाहिए और यह संदिग्धों को पहचान के लिए दो या तीन समूहों में विभाजित करके किया जा सकता है।यह खेदजनक है कि मजिस्ट्रेट इस नियम का पालन करने की अपेक्षा इसका उल्लंघन अधिक करते हैं। उदाहरण के लिए, अपीलकर्ता राम धानी की परेड जिसमें कम से कम चौवालीस व्यक्ति शामिल थे, जबकि डकैती में कथित तौर पर वह केवल चौदह डकैतों के साथ देखा गया था।
अक्सर परेड इससे भी बड़ी होती है।परिणाम यह होता है कि सबसे ईमानदार गवाह भी परेड की लंबाई से भ्रमित होकर गलतियाँ कर बैठता है।फिर भी, उसकी सत्यता का आकलन हमेशा उसकी गलतियों के आधार पर ही किया जाता है।बड़ी और अव्यवस्थित परेड स्पष्ट रूप से एक ईमानदार गवाह के लिए गंभीर बाधा उत्पन्न करती है।सत्य नारायण बनाम राज्य (उपरोक्त) मामले में न्यायमूर्ति देसाई ने इस दोष को उजागर किया था, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि पहचान के लिए कई संदिग्धों को एक साथ कतार में खड़ा करने की प्रथा मौलिक रूप से गलत है और पहचान परिणामों के मूल्यांकन में आने वाली सभी समस्याओं की जड़ है। उन्होंने आगे बताया कि गवाहों के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालयों द्वारा विकसित किए गए नियम, जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुछ सही व्यक्तियों और कुछ गलत व्यक्तियों को चुनते हैं, तर्क या गणित के किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं। हम माननीय न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त निर्णय में व्यक्त किए गए निम्नलिखित विचार का पूर्णतया समर्थन करते हैं: --

पहचान की कार्यवाही करने का उचित तरीका यह है कि प्रत्येक संदिग्ध को अलग-अलग पहचान के लिए पेश किया जाए, साथ ही यथासंभव अधिक से अधिक निर्दोष व्यक्तियों को भी पेश किया जाए, किसी भी स्थिति में नौ या दस से कम नहीं।जैसे-जैसे प्रत्येक गवाह पहचान के लिए पेश होगा, यह देखा जाएगा कि वह संदिग्ध की पहचान कर पाता है या नहीं।"या तो वह उसकी पहचान कर लेगा, ऐसी स्थिति में गलती का कोई सवाल ही नहीं उठेगा (क्योंकि कोई गलती होगी ही नहीं), या फिर वह उसकी पहचान नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में अगर वह किसी निर्दोष व्यक्ति को पहचानने में गलती भी कर दे तो भी यह मायने नहीं रखेगा क्योंकि उसने संदिग्ध की पहचान नहीं की होगी और अगर वह न्यायालय में उसके खिलाफ सबूत भी देता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा।"

34. सूरज पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में,(1995) 2 एससीसी 64 में रिपोर्ट किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है तो डॉक पहचान को स्वीकार किया जाता है। संबंधित अंश इस प्रकार है: --

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित विभिन्न तर्कों पर विचार करने से पहले, हम पहले परीक्षण पहचान परेड के उद्देश्य, प्रयोजन और महत्व को बताएंगे।यह उल्लेखनीय है कि पहचान परेड का आयोजन लंबे समय से प्रचलन में है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किसी अपराध के आरोपी अज्ञात व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। इसमें घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले लोगों द्वारा अपराधी की पहचान की जाती है, ताकि यदि अपराधी को उनके समक्ष पेश किया जाए तो वे उसके चेहरे की छाप को याद करके उसकी पहचान कर सकें।इस प्रकार, स्वाभाविक रूप से, ऐसे मामलों में पहचान परेड दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है।यह जांच एजेंसी को उन गवाहों के दावों की सत्यता या असत्यता का पता लगाने में सक्षम बनाती है जिन्होंने अपराधी को देखने का दावा किया है, साथ ही साथ उसकी पहचान करने की उनकी क्षमता का भी आकलन करती है। दूसरी ओर, यह संदिग्ध को मुकदमे के दौरान ऐसे गवाहों द्वारा अचानक पहचाने जाने के जोखिम से बचाती है।इस प्रकार किसी अपराध के आरोपी अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने के लिए परीक्षण पहचान की प्रथा एक सदियों पुरानी विधि है और यह पिछले कई दशकों से आपराधिक न्यायशास्त्र की एक संतोषजनक और सुस्थापित विधि के रूप में कारगर साबित हुई है।यह भी ध्यान देने योग्य है कि गवाह की पहचान का ठोस प्रमाण न्यायालय में दिया गया उसका बयान होता है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां आरोपी व्यक्ति घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को पहले से ज्ञात नहीं होता है, तो घटना के बाद यथाशीघ्र आरोपी की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि कुछ समय बाद न्यायालय में उसकी जांच के समय तक उसकी स्मृति लुप्त न हो जाए।"

35. गिरिसन नायर बनाम केरल राज्य के मामले में, जिसका उल्लेख (2023) 1 एससीसी 180 में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि टीआईपी (TIP) को, भले ही मान्य हो, सभी मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता है जिसके आधार पर किसी आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके। इसके बजाय, इसका उपयोग विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों की पुष्टि के लिए किया जाता है।संबंधित अंश नीचे दिया गया है: --

"टीआईपी पुलिस द्वारा की जा रही जांच का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह सुनिश्चित करता है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।यह विवेक का एक नियम है जिसका पालन उन मामलों में किया जाना आवश्यक है जहां आरोपी गवाह या परिवादी को ज्ञात नहीं होता है (मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1971) 2 एससीसी 75, पैरा 17: 1971 एससीसी (क्रिमिनल) 391]; मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एससीसी 508, पैरा 41 और 43:(2010) 2 एससीसी (क्रिमिनल) 1150] और सी. मुनियाप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [सी. मुनियाप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एससीसी 567, पैरा 42: (2010) 3 एससीसी (सीआरआई) 1402]).साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत टीआईपी (□□□) का साक्ष्य स्वीकार्य है। हालांकि, यह कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।इसके बजाय, इसका उपयोग न्यायालय के समक्ष विचारण के समय गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जाता है।इसलिए, टीआईपी को, भले ही वह मान्य हो, सभी मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता है जिसके आधार पर किसी आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सके (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज, (2000) 1 एससीसी 247, पैरा 3:2000 एससीसी (क्रिमिनल) 147] और सी. मुनियाप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [सी. मुनियाप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एससीसी 567, पैरा 42: (2010) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 1402])।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. संपत तात्यादा शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, जो एआईआर 1974 एससी 791 में प्रकाशित हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि परीक्षण पहचान का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत स्वीकार्य है। इसका उपयोग केवल अदालत में गवाहों द्वारा अभियुक्त की पहचान के संबंध में दिए गए मूल साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।संबंधित अंश इस प्रकार है: --

"परीक्षण पहचान का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत स्वीकार्य है; यह अधिकतम सहायक साक्ष्य ही है।इसका उपयोग केवल अदालत में गवाहों द्वारा दिए गए उस ठोस साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जा सकता है जिसमें आरोपी की पहचान आपराधिक कृत्य के कर्ता के रूप में की गई हो। परीक्षण पहचान परेड में साक्षी द्वारा की गई पूर्व पहचान का अपने आप में कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। न ही परीक्षण पहचान एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जिसे न्यायालय में किसी साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान के संबंध में दिए गए साक्ष्य की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अपराधी की पहचान की जा सकती है।"

37. पहचान ज्ञापन (एक्स.पी-18) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पहचान परेड सिंचाई विभाग के बलोदा बाजार भाटापारा स्थित विश्राम गृह में आयोजित की गई थी, और यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त पहचान परेड जेल परिसर/पुलिस स्टेशन में आयोजित करने के बजाय विश्राम गृह में क्यों आयोजित की गई।

38. उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, न्यायालय ने अपीलकर्ता के संबंध में आयोजित की गई पहचान परेड में कई कमियां पाई हैं।जांच साक्षीयों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पहचान परेड से पहले पीड़ित (पी.डब्ल्यू2) को आरोपी के सामने उजागर किया गया था, जिससे पहचान परेड आयोजित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया।अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अपीलकर्ता को समान दिखने वाले व्यक्तियों के साथ मिलाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी। इसके अलावा, किसी भी स्वतंत्र गवाह ने प्रक्रिया की निष्पक्षता का समर्थन नहीं किया है, और परेड के ज्ञापन में अनिवार्य सुरक्षा उपायों के पालन का कोई उल्लेख नहीं है।

39. अशरफी (उपरोक्त) के प्रतिष्ठित फैसले और ऊपर उद्धृत कई अन्य फैसलों में दिए गए कानून को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले में टीआईपी को विश्वसनीय सहायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है, और उसमें की गई पहचान संदेह से परे नहीं है।परिणामस्वरूप, पहचान परेड अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं बढ़ाती और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने का आधार नहीं बन सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. अब सीसीटीवी/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अभिरक्षा श्रृंखला की बात करें तो, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के वाहन की संबंधित क्षेत्र में उपस्थिति स्थापित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और उसके अंशों (पेन ड्राइव) पर भरोसा करने का प्रयास किया।हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष मौजूद रिकॉर्ड अभिरक्षा श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन में गंभीर कमियों को उजागर करता है। पी.डब्ल्यू 13 ने स्वीकार किया कि उसे एक पेन ड्राइव प्राप्त हुई और उसने उसकी जांच की, लेकिन वह रिकॉर्डिंग के सटीक स्रोत (किस कैमरे से, किस मालिक से, किसने कॉपी बनाई और कब) को प्रदर्शित नहीं कर सका।पी.डब्ल्यू. 14, जिसकी संलिप्तता से प्रमाणिकता स्थापित करने में मदद मिलनी चाहिए थी, मुकर गया और उसने फुटेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का कोई प्रमाण पत्र या मूल संरक्षक से कोई तुलनीय औपचारिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित कानून के तहत, स्वीकार्य प्रमाणिकता साक्ष्य का अभाव घातक है; इस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकार्य और महत्वपूर्ण होने के लिए उचित प्रमाणन या सिद्ध अभिरक्षा श्रृंखला पर आधारित होना आवश्यक है

41. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई दृश्य नहीं है जिसमें आरोपी पीड़ित के साथ दिखाई दे रहा हो।इस प्रकार, भले ही फुटेज स्वीकार्य हो, फिर भी यह वह दृश्य प्रमाण प्रदान नहीं करेगा जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने

बच्चे का अपहरण और यौन उत्पीड़न किया था।इसलिए सीसीटीवी पेन ड्राइव पर किया गया प्रायश्चितात्मक भरोसा, स्वीकार्यता और ठोस सामग्री दोनों के अभाव में धराशायी हो जाता है।

42. अब, प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य की बात करें तो, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य गंभीर और चौंकाने वाला है क्योंकि दो चिकित्सा अधिकारियों [डॉ. करुणा यादव (पीडब्ल्यू-18) और डॉ. नेहा ठाकुर (पीडब्ल्यू-24)] ने बच्चे की जांच की और हाइमनल टियर और सक्रिय रक्तस्राव पाया, आंतरिक घाव और ताजा घावों को शल्य चिकित्सा द्वारा सिला गया था, और योनि स्लाइड और रक्त से सने वस्त्र जब्त किए गए थे।ये निष्कर्ष स्पष्ट रूप से पीड़िता के इस बयान का समर्थन करते हैं कि यौन उत्पीड़न हुआ था।रासायनिक रिपोर्ट (एक्स.पी-34) कुछ वस्तुओं पर मानव वीर्य की उपस्थिति दर्शाती है।यह सब दर्शाता है कि पीड़िता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई, जिसे न्यायालय स्वीकार करता है।

43. हालांकि, चिकित्सा और रासायनिक साक्ष्यों की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे साक्ष्य अपराध की पुष्टि करते हैं और चोटों की प्रकृति/गंभीरता को दर्शाते हैं, लेकिन हमलावर की पहचान नहीं करते।किसी विशेष आरोपी के खिलाफ चिकित्सा या रासायनिक निष्कर्षों को सबूत में बदलने के लिए, अभियोजन पक्ष को आरोपी और जैविक सामग्री के बीच एक विश्वसनीय संबंध दिखाना होगा (उदाहरण के लिए, डीएनए तुलना के लिए आरोपी का नमूना प्रस्तुत करके और मिलान साबित करके), या आरोपी से ऐसी वस्तुएं बरामद करनी होंगी जो स्पष्ट रूप से उसी जैविक सामग्री से दूषित हों और संदूषण की संभावना को खत्म करती हों।अपीलकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से बरामद की गई ऐसी कोई भी आपत्तिजनक सामग्री विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत नहीं की गई जिससे वीर्य या अन्य जैविक साक्ष्यों से उसका संबंध निर्णायक रूप से सिद्ध हो सके।इस अनुपस्थिति में, चिकित्सा और रासायनिक साक्ष्य, यद्यपि हमले को सिद्ध करते हैं, फिर भी पहचान संबंधी संदेह को दूर नहीं करते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की पहचान को पुष्ट करने के लिए अंडरवियर पर वीर्य की उपस्थिति और चोटों पर भरोसा किया।हमारी राय में, यह एक अनुचित निष्कर्ष था।चिकित्सा-फोरेंसिक तथ्य घटना को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन वे पहचान संबंधी साक्ष्यों की कमी को पूरा नहीं कर सकते है।

45. अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके मामला बनाने का प्रयास किया: (i) कि बल्कर/कैप्सूल वाहन उस क्षेत्र से गुजरे थे और पंजीकरण संख्या CG-22-J-2603 वाले ऐसे ही एक वाहन को जब्त किया गया था

(ii) कि अपीलकर्ता उस मार्ग पर चलने वाले वाहन का चालक था;

(iii) कि अपीलकर्ता की गतिविधियों का विवरण कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जांच अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दर्ज था।गहन विश्लेषण करने पर परिस्थितिजन्य श्रृंखला अधूरी तथा नाजुक है।

46. सबसे पहले, पीड़ित द्वारा वर्णित "कैप्सूल-प्रकार" वाहन और अपीलकर्ता द्वारा चलाए गए बल्कर/ट्रक (सीमेंट से लदे वाहन) के बीच एक बुनियादी विसंगति है।विचारण न्यायालय ने इस मामले को यह कहकर दबा दिया कि आरोपी ने सीमेंट लादकर मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाई थी।एक ही मार्ग पर किसी वाहन की मौजूदगी मात्र से यह साबित नहीं होता कि उस वाहन का इस्तेमाल बच्चे के अपहरण और उत्पीड़न के लिए किया गया था।अभियोजन पक्ष ने टायर के निशान/पथ के साक्ष्य, पीड़ित को अपीलकर्ता के वाहन में चढ़ते देखने वाले स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी, या अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण (जैसे सीसीटीवी फुटेज जिसमें पीड़ित उस विशिष्ट ट्रक के साथ दिख रहा हो) प्रस्तुत नहीं किए।

47. दूसरा, जांच अधिकारी द्वारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे न्यायालय अपीलकर्ता के फोन और अपराध के सटीक स्थान/समय के बीच एक अटूट संबंध स्थापित कर सके।प्रतिपरीक्षा में मात्र यह दावा करना कि "सीडीआर साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध कुछ पाया गया" अपर्याप्त है।मूल सीडीआर, विश्लेषण, सेल-साइट मैपिंग और विशेषज्ञ स्पष्टीकरण उपलब्ध होने चाहिए और सिद्ध होने चाहिए।वर्तमान रिकॉर्ड में यह मानदंड उपलब्ध नहीं है

48. तीसरा, अपीलकर्ता से कोई भी आपत्तिजनक बरामदगी (दाग लगे कपड़े, उसके पास पीड़ित की वस्तुएंआदि) स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में साबित नहीं हुई है।इस तरह के प्रत्यक्ष संबंध के साक्ष्य की अनुपस्थिति परिस्थितिजन्य श्रृंखला को उस बिंदु तक कमजोर कर देती है जहाँ यह दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. इसलिए पीड़िता के अपने परिवार के सदस्यों को दिए गए बयान, पुलिस को दिए गए बयान (161 सीआर.पी.सी.), मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान (164 सीआर.पी.सी.) और अदालत में दिए गए बयान के संबंध में, इन बयानों और गवाहों की गवाही को ध्यानपूर्वक पढ़ने से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विवरणों में भिन्नताएं सामने आती हैं।जागने का सटीक समय, वाहन का प्रकार और रंग, मार्ग का विवरण और यात्रा के दौरान क्रम का कुछ विवरण।घर में प्रवेश करने का तरीका (क्या कुंडी बाहर से खोली गई थी और इसकी जानकारी किसे हो सकती है) विरोधाभासी सुझावों का विषय था।बचाव पक्ष द्वारा आसपास के अन्य वाहनों और लोगों के बारे में की गई तीखी पूछताछ को काल्पनिक नहीं माना जा सकता है।यह मुख्य सड़क का वह हिस्सा है जहाँ कई वाहन रुकते हैं और ट्रक चालक अक्सर नदी किनारे आते-जाते हैं, इसलिए किसी अन्य अपराधी की संभावना या गलत आरोप की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।

50. विचारण न्यायालय ने कुछ भिन्नताओं को आघातग्रस्त बच्चे के लिए "स्वाभाविक" माना।यद्यपि कुछ हद तक भिन्नता अपेक्षित है, लेकिन पहचान और इस्तेमाल किए गए वाहन से सीधे संबंधित महत्वपूर्ण अस्पष्ट सुधार या गंभीर विसंगतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।इस मामले में, पीड़िता द्वारा हमलावर का प्रारंभिक समकालीन विवरण प्रदान करने में असमर्थता, और संतोषजनक पहचान संबंधी सुरक्षा उपायों के अभाव में बाद

में पहचान का सामने आना, पहचान संबंधी उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता को काफी हद तक कमज़ोर करता है।

51. अन्वेषण  में प्रक्रियात्मक कमियां भी दिखाई देती हैं जो साक्ष्य संबंधी अनिश्चितताओं को और बढ़ा देती हैं। सीसीटीवी फुटेज का स्रोत स्पष्ट नहीं है; पहचान परेड रिकॉर्ड में पीड़ित के हस्ताक्षर और पर्याप्त नोट का अभाव है; गुमशुदगी की रिपोर्ट, बरामदगी और उसके बाद की जांच प्रक्रियाओं के बीच के समय में ऐसे अंतराल (पुलिस के घर पहुंचने में तीन से चार घंटे की देरी) हैं, जहां फुटेज में मिलावट, छेड़छाड़ या सिखाने की संभावना रही हो सकती है।इन कमियों को ऐसे मामले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जहां पहचान दोषसिद्धि का मुख्य आधार है।

52. अभियोजन पक्ष द्वारा पेन ड्राइव/सीसीटीवी फुटेज के लिए स्पष्ट दस्तावेजी आधार प्रस्तुत करने में विफलता, फुटेज के स्रोत की व्याख्या करने वाले स्वतंत्र, निष्पक्ष साक्षीयों को पेश करने में विफलता, और सीडीआर/साइबर-सेल विश्लेषण को पारदर्शी विशेषज्ञ प्रारूप में प्रस्तुत करने में विफलता मामूली खामियां नहीं हैं।ये इस बात को साबित करने के मूल में हैं कि अपराध केवल अपीलकर्ता ने किया है, किसी और ने नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. यह कानून सर्वविदित है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला पहचान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संयोजन पर निर्भर करता है, वहां श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उचित संदेह से परे प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है (शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1)।इसी प्रकार, सीसीटीवी फुटेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य होने के लिए उचित प्रमाणन और स्रोत के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर 2)।पहचान संबंधी कार्यवाही में भी सुझावात्मकता को रोकने वाले दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा कार्यवाही निरर्थक हो जाती है और दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है। इन प्राधिकारियों में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले पर पूर्णत: लागू होते हैं।1 (1984) 4 एससीसी 116 2 (2014) 10 एससीसी 473 33

54. इन सिद्धांतों को यहाँ लागू करने पर यह स्पष्ट है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि 27.09.2019 की रात को पीड़ित के विरुद्ध एक गंभीर अपराध हुआ था, फिर भी वह स्वीकार्य, निर्विवाद साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि अपीलकर्ता प्रसेन कुमार भार्गव ही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। पहचान संबंधी महत्वपूर्ण कमियाँ, त्रुटिपूर्ण सूचना सूचना (टीआईपी), सीसीटीवी फुटेज का स्पष्ट प्रमाण न होना, अपीलकर्ता से प्रत्यक्ष फोरेंसिक संबंध न होना और विवरण में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ उचित संदेह की गुंजाइश छोड़ती हैं।

55. यह सर्वविदित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को दृढ़ता से सिद्ध किया जाना चाहिए और सभी कड़ियाँ, एक साथ मिलकर, निर्विवाद रूप से आरोपी के अपराध की ओर

इशारा करनी चाहिए।गहन जांच करने पर, इनमें से कोई भी कड़ी निर्णायक नहीं है, और सामूहिक रूप से ये एक अटूट श्रृंखला नहीं बनाती हैं।

56. ऊपर संक्षेप में बताए गए कानून के आलोक में रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करता है:(i) पीड़ित की आयु विवादित नहीं है – दस्तावेजी साक्ष्य, जिसमें विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर और अस्वीकृति रजिस्टर (एक्स पी/-20 और एक्स पी/-21) शामिल है, जो पी. डब्ल्यू.-14 (प्रधानाध्यापक) के माध्यम से सिद्ध हुआ है, यह स्थापित करता है कि कथित घटना की तिथि पर पीड़ित की आयु 11 वर्ष थी।अपीलकर्ता उचित ही इस तथ्य पर विवाद नहीं करता है।इस प्रकार, पीड़ित को पॉक्सो अधिनियम के अर्थ के भीतर एक नाबालिग माना जाता है। हालांकि, इससे केवल जांच का स्वरूप बदलता है, लेकिन आरोपी की पहचान और संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने की मूलभूत आवश्यकता कमज़ोर नहीं होती।

(ii) अपीलकर्ता की पहचान अत्यधिक संदिग्ध और अविश्वसनीय है- (a) पहचान परेड (TIP) त्रुटिपूर्ण पाई गई है।पहचान परेड आयोजित करने वाले पी. डब्ल्यू.-22 (जांच अधिकारी) और एसडीएम के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता को पहले ही पुलिस स्टेशन लाया गया था, वह गवाहों को दिखाई दे रहा था, और पहचान परेड से पहले पीड़ित (पी. डब्ल्यू.-2) को दिखाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) इस न्यायालय ने पाया है कि पहचान परेड ज्ञापन विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ है, प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वतंत्र गवाह की जाँच नहीं की गई, और गवाह संख्या 22 और एसडीएम के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास मौजूद हैं। इसके अलावा, पहचान ज्ञापन (प्रदर्शनी पृष्ठ 18) के अवलोकन से पता चलता है कि पहचान परेड सिंचाई विभाग के बलोदा बाजार भाटापारा स्थित विश्राम गृह में आयोजित की गई थी, जो स्वयं ही पहचान परेड की पूरी कार्यवाही को अमान्य कर देता है, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त पहचान परेड जेल परिसर/पुलिस स्टेशन में आयोजित करने के बजाय विश्राम गृह में क्यों आयोजित की गई थी।

(ग) जैसा कि अशरफी (उपरोक्त) में कहा गया है और हाल ही में नाज़िम (उपरोक्त) में इसकी पुष्टि की गई है, टीआईपी से पहले आरोपी का कोई भी खुलासा परेड के साक्ष्य मूल्य को नष्ट कर देता है, जिससे अदालत में बाद में की गई पहचान अर्थहीन हो जाती है।

(घ) इस प्रकार, अपीलकर्ता की अपराधी के रूप में पहचान सिद्ध नहीं होती है।

(iii) अपीलकर्ता के साथ कोई फोरेंसिक या वैज्ञानिक संबंध नहीं – (क) एफएसएल रिपोर्ट में पीड़ित के जब्त किए गए कपड़ों (एक्स.पी-11 से पी-13) और अपीलकर्ता के कथित अंडरवियर (एक्स.पी-9) पर वीर्य, डीएनए, रक्त या अपीलकर्ता से संबंधित कोई भी निशान नहीं पाया गया है।

(ख) अभियोजन पक्ष ने जब्त किए गए वाहन सीजी-22-जे-2603 को अपराध से जोड़ने वाली कोई फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) पीड़ित द्वारा वर्णित कथित "कैप्सूल कार" जब्त किए गए बल्कर वाहन से तथ्यात्मक रूप से असंगत है।

(घ) इस प्रकार, वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते और अपीलकर्ता को कथित कृत्यों से नहीं जोड़ते।

(च) चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं करते-

(क) चिकित्सा परीक्षण (पी. डब्ल्यू-10) और रिपोर्ट (एक्स. पी-14 और एक्स. पी-15) पीड़िता द्वारा वर्णित प्रकृति के हालिया जबरन यौन संबंध का निर्णायक रूप से संकेत नहीं देते है

(ख) दर्ज की गई चोटें वाहन में बार-बार किए गए जबरन हमले के अभियोजन पक्ष के आरोप से मेल नहीं खातीं, जैसा कि वर्णित है।

(ग) जैसा कि राज कुमार @ भीमा (उपरोक्त) में स्पष्ट किया गया है, चिकित्सा साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी के बयान से मेल खाना चाहिए, यदि मामला एक ही गवाह पर आधारित हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) वर्तमान मामले में, चिकित्सा साक्ष्य संदेह पैदा करता है और अभियोजन पक्ष की मूल कहानी की पुष्टि नहीं करता है।

(v) अभियोजन पक्ष की कहानी विरोधाभासी है और महत्वपूर्ण साक्षीयों अविश्वसनीय हैं-

(क) पीड़िता (संदिग्ध-2) अपहरण के तरीके, वाहन के प्रकार, घटनाओं के क्रम, दूसरे हमले के स्थान और गांव लौटने के तरीके के बारे में कई अलग-अलग बयान देती है।

(ख) परिवार के सदस्य (पी. डब्ल्यू-1, पी. डब्ल्यू-3, पी. डब्ल्यू-5, पी. डब्ल्यू-6, पी. डब्ल्यू7, पी. डब्ल्यू-8, पी. डब्ल्यू-9) भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक दूसरे से भिन्न हैं, जैसे कि उन्हें उसके लापता होने का पता कब चला, उसे कैसे खोजा गया, पुलिस को किसने सूचना दी, उसके कपड़ों की स्थिति और जिस रास्ते से वह कथित तौर पर लौटी।

(ग) ये विरोधाभास मामूली नहीं हैं, बल्कि ये अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर प्रहार करते हैं।

(घ) इसके अलावा, पीड़ित को सबसे पहले खोजने वाले कथित स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई, जिससे घटनाक्रम अधूरा रह गया।

vi) अन्वेषण में कई गंभीर खामियां पाई गईं, जैसे कि राजमार्ग पर उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की गई, अपीलकर्ता के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) या लोकेशन डेटा एकत्र नहीं किया गया, वाहन को उचित

दस्तावेजीकरण के बिना जब्त किया गया, फिंगरप्रिंट विश्लेषण नहीं किया गया और मार्ग या पड़ावों की पुष्टि नहीं की गई।ये चूकें मात्र प्रक्रियात्मक नहीं हैं, बल्कि दोष सिद्ध करने के मूल में ही निहित हैं।

(vii) दोषसिद्धि केवल अप्रमाणित, संदिग्ध गवाही पर आधारित नहीं हो सकती– (क) यद्यपि कानून यह मानता है कि नाबालिग पीड़ित की गवाही दोषसिद्धि का आधार हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब गवाही विश्वसनीय हो, संदेह रहित हो और विश्वास जगाने वाली हो। (ख) जैसा कि नाज़िम और अशरफी (उपरोक्त) में कहा गया है,जहां पहचान संदिग्ध हो, अपराध की संवेदनशीलता की परवाह किए बिना, संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए।

(ग) वर्तमान गवाही में अंतर्निहित असंगतताएं हैं, पुष्टि का अभाव है, और यह चिकित्सा या फोरेंसिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

(viii) विचारण न्यायालय ने महत्वपूर्ण कमियों को नजरअंदाज किया और एक अनुमानित दृष्टिकोण अपनाया – यह न्यायालय पाता है कि ट्रायल कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच किए बिना पीड़ित के बयान पर अत्यधिक भरोसा किया है और अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभासों को नजरअंदाज किया है और टीआईपी के समक्ष हिरासत में आरोपी की उपस्थिति को महत्वहीन मानते हुए बिना कानूनी आधार के निष्कर्ष निकाले हैं।इस तरह का दृष्टिकोण विधि में अस्वीकार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

57. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।आपराधिक न्यायशास्त्र ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ न्यायालय घटना सिद्ध होने पर भी, जब अभियुक्त से उसका संबंध सिद्ध नहीं होता, बरी कर देते हैं।अपराध का होना सिद्ध होना एक बात है और अभियुक्त को उस अपराध का दोषी सिद्ध करना दूसरी बात।अभियोजन पक्ष ने यहाँ सिद्ध कर दिया है, लेकिन दूसरे के संबंध में संदेह को दूर करने में विफल रहा है।उस परिस्थिति में, संदेह का लाभ आरोपी को ही मिलना चाहिए

58. यह सर्वविदित कानून है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, और जब दो दृष्टिकोण संभव हों, एक अपराध की ओर और दूसरा निर्दोषता की ओर, तो संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को ही मिलना चाहिए।इस सिद्धांत को लागू करते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है।

59. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता को समस्त आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है।

60. यह कहा गया है कि अपीलकर्ता प्रसेन कुमार भार्गव जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

61. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए (अब बीएनएसएस की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता प्रसेन कुमार भार्गव को दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

62. विचारण न्यायालय के अभिलेख और इस फैसले की प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेज दी जाए।

**सही /-**
**(रमेश सिन्हा)**
**मुख्य न्यायाधीश**

**सही /-**
**(बिभु दत्त गुरु)**
**मुख्य न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**हेडनोट :---**

"जब अभियोजन पक्ष की तर्क पहचान प्रक्रिया में खामियों, वैज्ञानिक या चिकित्सा प्रमाणों के अभाव, प्रमुख साक्षी के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों और जांच में गंभीर चूक से ग्रस्त हों, तो साक्ष्य का आधार इतना कमजोर हो जाता है कि दोषसिद्धि संभव नहीं रह जाती है।यहां तक कि संवेदनशील अपराधों में भी, कानून अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपी की पहचान और संलिप्तता को निश्चित रूप से साबित करे।जहां ऐसा प्रमाण संदिग्ध हो, वहां संदेह का लाभ अनिवार्य रूप से आरोपी के पक्ष में जाना चाहिए।""

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

*प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur